

mainly due to rise in the prices of raw cotton.

(b) The total quantity of yarn exported in 1986 and 1987 was 16.47 m.kgs. and 85.96 m.kgs. respectively.

(c) Exports of cotton yarn are allowed with a view to improve the utilisation of spindleage capacity and to earn foreign exchange

1589. [Transferred to the 9th May, 1988.]

**चेकोस्लोवाकिया को प्रसाधन सामग्री का निर्यात**

1590. श्री राम नरेश यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रसाधन सामग्री चेकोस्लोवाकिया में काफी लोकप्रिय हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 और चालू वर्ष के दौरान अब तक चेकोस्लोवाकिया को निर्यात की गई प्रसाधन सामग्री की विभिन्न मदों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रसाधन सामग्रियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) जी, हां ।

(ख) व्यापार संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष-वार संकलित किए जाते हैं । मूल रसायन, भेषजीय और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा संकलित निर्यात आंकड़ों के अनुसार चेकोस्लोवाकिया को प्रसाधन सामग्री का निर्यात 1986-87 और 1987-88 के दौरान इस प्रकार था :—

वर्ष चेकोस्लोवाकिया को निर्यात प्रसाधन सामग्री का मूल्य

(लाख रुपये में)

1986-87	7.65
1987-88	21.80

चेकोस्लोवाकिया को निर्यात की जाने वाली प्रसाधन सामग्री में मुख्य मदें ये हैं : कार्मिकट, शैम्पू, लिपिस्टिक, मस्कार (अंजन) और आई लाइनर ।

(ख) प्रसाधन और श्रंगार सामग्री की बहुत सी मदों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है । सरकार पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के जरिए प्रसाधन सामग्री का निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रही है । भारतीय व्यापार संगठनों द्वारा यात्रा और व्यापार मेलों में भाग लेने जैसे अन्य उपाय भी प्रसाधन सामग्री का निर्यात बढ़ाने के लिए किए जाते हैं ।

**Utilisation/disposal of arms and ammunition seized from terrorists**

1591. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision with regard to the utilisation/disposal of the arms and ammunition seized from the terrorists or unearthed by the police;

(b) if so, what are the details thereof stating the manner of their disposal/ utilisation; and

(c) whether there is any proposal to sell/auction such arms to the people, particularly of the border and the terrorist affected areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Yes, Sir. According to the instructions issued to the State Governments/UTs from time to time, the State Police authorities are allowed to retain/use weapons of prohibited bore with approval of the State Government/U.T. Administration concerned. A report regarding weapons of service pattern/prohibited bore and weapons